हिन्दू राष्ट्र के निर्माता हैं डॉ भीमराव अंबेडकर ~

*दिनेश सिंघ एलएल.एम.

प्रस्तावना ~ कोई भी देश उस देश के नागरिकों से मिलकर बनता है, डॉ भीमराव अंबेडकर ने पहले अछूतों को पूना पैक्ट करके हिंदू बनाया।

फिर हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू लॉ के द्वारा कानूनी तौर पर सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वालों को हिंदू घोषित कर दिया।

और मुसलमानों के लिए डॉ अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखकर भारत के विभाजन की मजबूत नींव रखी...

इस लेख के माध्यम से सबूतों के साथ यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं को किस तरह से मज़बूत किया और हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया।

1. हिंदू धर्म रक्षक डॉ भीमराव अंबेडकर~

स्वामी अछूतानंद महाराज और बाबू मंगूराम मंगूवालिया ने अछूतों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और उन्होंने डॉ भीमराव अंबेडकर को अपना प्रतिनिधि बनाकर गोलमेज सम्मेलन में भेजा लेकिन गांधी ने दावा कर दिया कि वे अछूतों के नेता हैं तो अंग्रेजों ने डॉ भीमराव अंबेडकर को अछूतों का प्रतिनिधि मानने से इंकार कर दिया !

तब स्वामी अछूतानंद महाराज और बाबू मंगूराम मंगूवालिया ने डॉ अंबेडकर के समर्थन में ब्रेटिश सरकार को 1567 तार भेजे जिनके माध्यम से यह दावा किया कि डॉ भीमराव अम्बेडकर ही हमारे सच्चे प्रतिनिधि हैं।

अछूतों का दावा यह था कि हम एक पृथक संप्रदाय हैं इसलिए हमें पृथक संप्रदाय निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए,

इस लड़ाई को डॉ भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही तार्किक तरीके के लड़ा और ऐसी कई दलीलें दी जिससे ये साबित हुआ कि अछूत पृथक संप्रदाय हैं,

इसके लिए उन्होंने महाड़ तालाब सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का हवाला दिया गया। तब

ब्रटिश सरकार के द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर की तर्कों और दलीलों के आधार पर अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया।

जब डॉ भीमराव अम्बेडकर पृथक संप्रदाय निर्वाचन अधिकार को लेकर भारत में लौटे तो गांधी ने अनशन शुरू कर दिया और गांधी ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि डॉ भीमराव अम्बेडकर हमारे हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने गांधी को पूना की जेल में ठूंस दिया,

परंतु

गांधी ने जेल के अंदर अपना हिंदू धर्म टूटने से बचाने के लिए अनशन शुरू कर दिया...

जिस पृथक संप्रदाय निर्वाचन के अधिकार के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, और ये लड़ाई महज़ तीन चार दिन में ही निपट गई,

गाँधी ने कहा था कि हम आपको नौकरियों में और राजनैतिक आरक्षण आपकी संख्या के अनुपात में देने को तैयार हैं, आप आरक्षण ले लो लेकिन आप हमारे हिंदू धर्म को मत तोड़ो.....

कांग्रेस और डॉ अंबेडकर के बीच में पैक्ट हो गया कि यदि आप हमें शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण देने यानी सुरक्षित सीटें देने को तैयार हैं तो हम हिंदू बनने को तैयार हैं।

इस तरह से अछूतों के हिंदू बने रहने की शर्त पर आरक्षण दे दिया गया।

और इस तरह से 25 सितम्बर 1932 को अछूतों के वास्तविक हक अधिकार गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों से पृथक संप्रदाय निर्वाचन का अधिकार

पूना पैक्ट के द्वारा छीन लिया।

और अछूतों को हिंदू बना दिया।

Volume 17 part I page 170-171~

"पूना समझौते की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जिनका खड़े होने पर जयकारों के साथ स्वागत किया गया, ने घोषणा की:

"मेरा मानना है कि यह कहना मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ दिन पहले कोई भी व्यक्ति मुझसे अधिक दुविधा में नहीं था। मेरे सामने एक कठिन परिस्थिति थी जिसमें मुझे दो कठिन विकल्पों के बीच चयन करना था।

भारत के सबसे महान व्यक्ति का जीवन बचाया जाना था। मेरे लिए समुदाय के हितों की रक्षा करने का प्रयास करने की भी समस्या थी जिसे मैं अपने हल्के के अनुसार गोलमेज सम्मेलन में विनम्र तरीके से करने का प्रयास कर रहा था। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम सभी के सहयोग से ऐसा समाधान निकालना संभव हो सका है, जिससे महात्मा की जान बचाई जा सके और साथ ही हितों के लिए जरूरी सुरक्षा भी मिल सके। भविष्य में "दलित" वर्गों का। मुझे लगता है कि इन सभी वार्ताओं में श्रेय का एक बड़ा हिस्सा स्वयं महात्मा गांधी को दिया जाना चाहिए। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनमें और मेरे बीच बहुत कुछ समानता थी। *(प्रोत्साहित करना)*

वास्तव में, जब भी कोई विवाद उनके पास लाया जाता था और सर तेज बहादुर सप्रू ने आपको बताया था कि जो विवाद उनके पास लाए जाते थे, वे बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति के होते थे। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जो व्यक्ति मुझसे इतने भिन्न विचार रखता था

गोलमेज़ सम्मेलन तुरंत मेरे बचाव के लिए आया, न कि दूसरे पक्ष के बचाव के लिए। मैं महात्मा का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला।

मेरा एकमात्र खेद यह है कि महात्मा ने गोलमेज़ सम्मेलन में यह रवैया क्यों नहीं अपनाया? *यदि उन्होंने मेरी बात पर इतना ही विचार किया होता, तो उन्हें इस अग्निपरीक्षा से गुजरना आवश्यक न होता। हालाँकि, ये अतीत की बातें हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए अब यहां हूं।*

*चूंकि अखबारों में यह सवाल उठाया गया है कि क्या इस समझौते को पूरे "दलित" वर्ग समुदाय का समर्थन मिलेगा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सवाल है और जहां तक उस पार्टी का सवाल है जो इसके साथ

खड़ी है। मैं चिंतित हूं और मुझे यकीन है कि मैं यहां मौजूद अन्य दोस्तों के लिए भी बोल रहा हूं कि हम समझौते पर कायम रहेंगे। इसमें कोई संदेह न रहे।*

इस तरह से डॉ आंबेडकर ने अछूतों को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग बनाने का पैक्ट गांधी के साथ कर लिया और अछूतों को मिला हुआ एक महान् अधिकार कम्युनल अवॉर्ड ब्रटिश सरकार को सरेंडर कर दिया। और इस तरह से अछूत हिंदू बन गए।

पूना पैक्ट करते समय डॉ आम्बेडकर ने स्वामी अछूतानंद और बाबू मंगूराम मंगूवालिया को पूछा तक नहीं!

कहा जा सकता है कि डॉ भीमराव अम्बेडकर ने एक तरह से अछूतों की पीठ में छुरा घोपने का काम किया।

जो अछूत प्रतिनिधि डॉ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट किए जाने से दुखी थे वे हिंदू धर्म से बचने के लिए सिख बनने लगे थे और सिखी का प्रचार करने लगे थे। तब बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदू धर्म से पीछा छुड़ाने के लिए प्रयास शुरु कर दिया।

इसी तारतम्य में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 31 मई 1935 को महार कांफ्रेंस में कहा था कि मैं हिंदू के रुप में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा हरगिज नहीं।

इसके बाद डॉ अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में विचार करना शुरु कर दिया।

डॉ भीमराव अम्बेडकर यद्यपि हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे लेकिन साथ में यह भी चाहते थे कि वे ऐसा धर्म अपनाएंगे जिससे हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉ भीमराव अम्बेडकर सिख बनने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गांधी को वचन दिया था कि वे ऐसा धर्म अपनाएंगे जिससे हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान हो

इसी बात की वजह से डॉ भीमराव अम्बेडकर सिख धर्म अपनाना चाहते थे। इसके लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 18 जून 1936 को डॉ बी एस मुंजे को अपने घर राजगृह में बुलाकर एक सीक्रेट मीटिंग की कि मैं सिख बनाना चाहता हूं और इस आशय का एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया। जब डॉ मुंजे ने दिल्ली लौटकर हिंदू सभा के बड़े नेताओं को इस बारे में बताया कि अम्बेडकर सिख बनने जा रहे हैं और इस बात का मेरे साथ पैक्ट भी किया है तो उन लोगों ने डॉ मुंजे से कहा कि अगर अछूत सिख बन जायेंगे तो वे हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो जायेंगे, अछूत गुरुओं की शिक्षा से जुड़कर हथियार बंद योद्धा बन जायेंगे फिर अछूतों को काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद डॉ मुंजे ने उस पैक्ट के दस्तावेज गांधी को भेज दिए। जिसे गांधी ने 8अगस्त 1936 को the Bombay cronical पत्रिका में प्रकाशित करवा दिया।

Writings and speeches Volumes volume I page 239-243~

"धर्मांतरण के संबंध में, "डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने धर्मांतरण के लिए उचित धर्म चुनने के मामले में विभिन्न प्रांतों के अपने सहयोगियों से परामर्श किया। उन्होंने अब सिख धर्म अपनाने का फैसला किया था। उनके दोस्तों और सहयोगियों को लगा कि डॉ. अंबेडकर को हिंदू सभा का समर्थन लेना चाहिए नेताओं ने सिख धर्म अपना लिया; क्योंकि, हिंदू सभा के नेताओं का मानना था कि सिख धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं था। यह हिंदू धर्म की एक संतान थी और इसलिए सिख और हिंदू आपस में विवाह करते थे और सिखों को हिंदू महासभा का सदस्य बनने की अनुमति दी गई थी।

तदनुसार, हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉ. मुंजे को बंबई आमंत्रित किया गया। 18 जून 1936 को रात साढ़े सात बजे राजगृह में दो अन्य मित्रों की उपस्थिति में डॉ. अम्बेडकर की डॉ. मुंजे से बातचीत हुई।

डॉ. अम्बेडकर ने सभी मुद्दों को सुलझाया और डॉ. मुंजे से खुलकर बातचीत की। अगले दिन डॉ. अम्बेडकर के विचारों का आशय एक बयान तक सीमित कर दिया गया और डॉ. मुंजे को दे दिया गया जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुमोदन किया।"

निम्नलिखित कथन है:-

हिंदू धर्मांतरण के आंदोलन के प्रति उदासीन नहीं रह सकते, जो दलित वर्गों के बीच जोर पकड़ रहा है। यह निस्संदेह हिंदुओं के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी बात होगी यदि दलित वर्गों को धर्मांतरण के विचार को छोड़ने के लिए राजी किया जाए। *लेकिन यदि यह संभव नहीं है, तो हिंदुओं को अपने अगले कदम के बारे में चिंतित होना चाहिए जो दलित वर्ग उठाएगा,* *क्योंकि उनके इस कदम का देश के भाग्य पर गंभीर परिणाम होना तय है। यदि उन्हें रुकने के लिए राजी नहीं किया जा सकता है, तो हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए, यदि वे उनका नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, एक ऐसे विश्वास को अपनाने के लिए जो हिंदुओं और देश के लिए कम से कम हानिकारक होगा।"*

डॉ भीमराव अम्बेडकर ने सिख धर्म अपनाने की पूरी तैयारियां कर ली थी लेकिन गांधी ने साफ मना कर दिया कि यदि आप सिख बनेंगे तो हम आपको पूना पैक्ट के द्वारा तय किए गए आरक्षण के अधिकारों को नहीं देंगे, और इस तरह से डॉ भीमराव अम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस के दबाव में आकर सिख धर्म अपनाने का विचार त्याग दिया।

2. बौद्ध धर्म अपनाकर दलितों के साथ धोखा कर गए डॉ भीमराव अंबेडकर ~

डॉ भीमराव अंबेडकर इस बात को जानते थे कि छुआछूत, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था बौद्ध धर्म की देन है, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का इस संबंध में एक लेख भी 26 फरवरी 1942 को the bombay cronical पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

फिर भी डॉ भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया ये बात समझ से परे है।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने वर्ली बुद्ध बिहार में 29सितंबर 1950को अपने भाषण में कहा था ~

Writings and speeches Volume 17part III page 410

"वर्तमान हिंदू धर्म लगभग एक हजार साल पहले वैसा ही था", उन्होंने कहा और कहा: यह बौद्ध धर्म के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन मुसलमानों के आक्रमण और अन्य कारणों के बाद इसने अपनी शुद्धता खो दी और मैल में मिल गया।

जब डॉ भीमराव अंबेडकर इस बात को जानते थे कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का ही नया नाम है,

जो मुगलों के द्वारा दिया गया है इस बात को जानते हुए भी उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया ???*

बौद्ध धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं और ब्राह्मण भी अपने धर्म को सनातन धर्म कहता है।

जो तीर्थ स्थल बौद्धों के हैं वे ही तीर्थ स्थल हिंदुओं के हैं, जो देवी देवता बौद्धों के हैं वे ही देवी देवता हिंदुओं के हैं। जो तीज त्यौहार बौद्धों के हैं वे ही तीज त्यौहार हिंदुओं के हैं। बौद्धों की और हिंदुओं की संस्कृति पूरी तरह से एक जैसी है।

हिंदुओं के धर्म ग्रंथ बौद्धों के धर्म ग्रंथों की ही नकल है।

आइए इसे हम डॉ भीमराव अंबेडकर के शब्दों में समझते है,

डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 14अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने 13अक्टूबर 1956 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की!

जिसमें डॉ भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मैंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया है कि ये धर्म भारत की संस्कृति और और भारत के इतिहास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म की संस्कृति कोई अलग नहीं है। दोनों एक ही हैं।

Dr ambedkar Life and mission Page 498~

13 अक्टूबर की शाम को, डॉ भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के कारण पैदा हुए मतभेदों में अपने लोगों को शामिल किए बिना, स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित आस्था के सिद्धांतों पर कायम रहेगा। उनका बौद्ध धर्म एक प्रकार का नव-बौद्ध धर्म या नवयान होगा।

जब उनसे पूछा गया कि आप बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा: 'आप खुद से और अपने पूर्वजों से यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि मैं हिंदू धर्म से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म क्यों अपना रहा हूं। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि वे क्यों चाहते हैं कि उनका परिवार हरिजन बना रहे। केवल आरक्षण जैसे 'लाभों' का आनंद लें। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ब्राह्मण इन विशेषाधिकारों का आनंद लेने के लिए अछूत बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे मर्दानगी तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्होंने एक बार महात्मा गांधी से कहा था कि हालांकि अस्पृश्यता के मुद्दे पर वह उनसे अलग थे, लेकिन समय आने पर, "मैं देश के लिए केवल सबसे कम हानिकारक रास्ता चुनूंगा। और यह सबसे बड़ा लाभ है जिसे मैं प्रदान कर रहा हूं।" बौद्ध धर्म अपनाकर देश को; क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस भूमि की संस्कृति और इतिहास की परंपरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।"

डॉ भीमराव अंबेडकर अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में पेज नंबर 129 पर लिखते हैं

~ " मनुष्य का आजादी प्राप्त करने के लिए अंतिम साधन हथियार उठाने का अधिकार है। ब्राह्मणों ने शूद्रों और अछूतों को शस्त्र के अधिकार से वंचित कर दिया था।

जब डॉ भीमराव अंबेडकर को यह पता था कि अछूतों को आजादी प्राप्त करने के लिए हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए तब डॉ भीमराव अंबेडकर ने ऐसा धर्म क्यों अपनाया जिसकी इतनी खतरनाक टीचिंग है जो भोले भाले लोगों को सिखाता है कि दुश्मन के साथ

कि

हिंसा मत करो!

दया करो!

करुणा करो!

मैत्री करो!

बैर से बैर शांत नहीं होता है, बल्कि बैरी से प्रेम करने से बैर शांत होता है।

बताइए इन बातों को सीखकर क्या आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है ???

क्या अछूत इस धर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय और बनियों की गुलामी से आजाद हो सकते हैं ???

3.पाकिस्तान निर्माण के फिलोसफर अंबेडकर ~

इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉ भीमराव अम्बेडकर फ्रीमेसन जो ब्रिटेन के राज परिवार की एक संस्था थी के एजेंट थे।

जब अंग्रजों को आभास हो गया कि वे भारत में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे तो अंग्रेजी सरकार ने दूरगामी योजना के तहत डॉ भीमराव अम्बेडकर को एक किताब लिखने में लगा दिया जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान यह किताब 1941में प्रकाशित हुई इस किताब के माध्यम से डॉ भीमराव अम्बेडकर ने

पाकिस्तान के विभाजन की जोरदार वकालत की, भारत और पाकिस्तान विभाजन की संपूर्ण योजना प्रस्तुत की और बंटवारे के नक्शे भी तैयार किए,

इस बात हवाला बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं तब दिया था जब भारत में 1955 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था,....

Writings and speeches 1 Page 167

पुराना संस्करण पेज 179

डॉ भीमराव अंबेडकर के शब्दों में~

*भारत के पाकिस्तान से अलग होने पर मुझे खुशी हुई। कहना चाहिए, पाकिस्तान की कल्पना मेरी ही थी। मैंने ही देश-विभाजन की वकालत की थी, क्योंकि मैं यह महसूस करता था कि केवल विभाजन ही ऐसा विकल्प है, जिसके फलस्वरूप हिन्दू न केवल स्वाधीन हो सकेंगे, वरन् मुक्त भी। यदि भारत और पाकिस्तान एक ही राज्य में एकजुट रहते तो हिन्दू स्वाधीन तो हो जाते, किन्तु वे मुसलमानों के वशीभूत रहते। स्वाधीन हो जाने मात्र से भारत हिन्दुओं के दृष्टिकोण से स्वतंत्र भारत न रह पाता। यह एक देश की दो राष्ट्रों द्वारा संचालित सरकार बन जाती और इन दोनों में से मुसलमान ही निःसंदेह शासक जाति बन जाते और हिन्दू महासभा और जनसंघ मूक दर्शक बनकर रह जाते। जब

देश का बंटवारा हुआ तो मैंने महसूस किया कि परमेश्वर अपना प्रकोप वापस लेने और भारत को संयुक्त, महान और समृद्ध बनाने के लिए सहमत हो गया है। लेकिन मुझे डर है कि यह प्रकोप फिर हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भाषावार राज्यों के गठन का समर्थन कर रहे हैं, उनके मन में यही है कि क्षेत्रीय भाषा को ही उनकी राजभाषा बनाया जाए।*

डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारे की योजना इस तरह से प्रस्तुत की कि मुसलमानों के तीन टुकड़े कर दिए, पहला पाकिस्तान दूसरा भारत और तीसरा पूर्वी पाकिस्तान !

भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की योजना इतनी खतरनाक थी कि पंजाब के भी दो टुकड़े कर दिए इस तरह से सिख भी दो टुकड़ों में बंट गए और भारत बन गया हिंदू राष्ट्र!

वैसे भारत का जो बंटवारा था वो धर्म के आधार पर हुआ था मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदुओं को हिंदुस्तान !

बचे अछूत,सिख,जैन और बौद्ध

सो

अछूतों,सिख,जैन और बौद्धों को हिंदू बनाने के लिए कानून बनाया गया।

4. अछूतों,सिख जैन और बौद्धों को कानूनी रूप से हिन्दू बना गए डॉ भीमराव अम्बेडकर ~

पूना पैक्ट के करार के बाद डॉ भीमराव अंबेडकर जब भारत के कानून मंत्री थे तब 10अगस्त 1950 को कानून मंत्रालय से एक आदेश पारित हुआ कि अछूत यानि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण तभी मिलेगा जब वे हिंदू बनकर रहेंगे।

और आरक्षण का लाभ केवल हिंदू अछूतों को मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई अछूत बौद्ध, जैन, सिख ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

इस तरह से डॉ भीमराव अंबेडकर ने अछूतों पर कानूनी पहरा बैठा दिया कि तुम हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाओगे तो तुम्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

जब डॉ भीमराव अंबेडकर से 13अक्टूबर 1956 को पत्रकारों ने पूछा कि आपने अछूतों को आरक्षण दिलाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और अब आप अछूतों को आरक्षण से दूर करने के लिए बुद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, इस सवाल का जबाव डॉ भीमराव अंबेडकर ने झल्लाकर के दिया

डॉ भीमराव अंबेडकर का जवाब पढ़िए~

“जब उनसे पूछा गया कि आप बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा: 'आप खुद से और अपने पूर्वजों से यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि मैं हिंदू धर्म से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म क्यों अपना रहा हूं। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि वे क्यों चाहते हैं कि उनका परिवार हरिजन बना रहे। केवल आरक्षण जैसे 'लाभों' का आनंद लें। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ब्राह्मण इन विशेषाधिकारों का आनंद लेने के लिए अछूत बनने के लिए तैयार हैं।”

(Page 498,.Dr Ambedkar Life and mission by Dhananjay keer)

यह कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है जब अछूतों को डॉ भीमराव अंबेडकर ने कानूनी रूप से हिंदू बनवा दिया और फिर 10 अगस्त 1950 को कानून मंत्री रहते हुए यह रोक लगवा दी कि आरक्षण का लाभ हिंदू बने रहने पर ही मिलेगा यदि अछूत डॉ भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो उनका आरक्षण छूट जाएगा।

लेकिन लंबी लड़ाई के बाद बहुत बड़े बड़े आंदोलनों के बाद बौद्धों को आरक्षण दे दिया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा सिख जैन और बौद्धों को हिंदू घोषित कर दिया गया,

रही सही कसर डॉ भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर पूरी कर दी,

"राइटिंग्स एंड स्पीचेज वॉल्यूम 14 भाग दो (खंड IV)

डॉ. अम्बेडकर और हिंदू कोड बिल

पेज नंबर 887 और 888, निम्नलिखित पैराग्राफ:

जैसा कि मैं इसे समझता हूं, हिंदू धर्म की ख़ासियत यह है कि यह एक ऐसा धर्म है जिसके साथ एक कानूनी ढांचा भी जुड़ा हुआ है। अब इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि सिखों को हिंदू धर्म के तहत क्यों लाया जाता है, बौद्धों को हिंदू धर्म के तहत क्यों लाया जाता है और जैनियों को क्यों। को हिन्दू धर्म के अंतर्गत लाया जाता है। जब बुद्ध वैदिक ब्राह्मणों से भिन्न थे, तो उनका मतभेद पंथ के मामलों तक ही सीमित था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक अलग कानूनी प्रणाली का प्रतिपादन नहीं किया; उन्होंने कानूनी व्यवस्था को वैसे ही छोड़ दिया जैसा वह था। हो सकता है कि उस समय जो क़ानूनी व्यवस्था थी वह एक अच्छी व्यवस्था थी; कि इसमें कोई दोष या दोष नहीं था। इसलिए, उन्होंने कुछ धार्मिक धारणाओं में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कानूनी प्रणाली में कोई बदलाव करने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया।

इसी तरह, जब महावीर ने अपना धर्म स्थापित किया तो उन्होंने जैनियों के लिए कोई नई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई। उन्होंने कानूनी व्यवस्था को जारी रखने की इजाजत दी और मुझे लगता है कि अगर मैं गलत हूं तो सरदार हुकम सिंह मुझे सही करेंगे, जब मैं कहता हूं कि दस गुरुओं में से किसी ने भी सिखों के लिए इस तरह की कोई कानून किताब नहीं बनाई। मुसीबत यह है—आप इसे मुसीबत कह सकते हैं; आप इसे सौभाग्य कह सकते हैं; आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं; मैं शब्दों के बारे में विशेष नहीं हूं सच तो यह है। इस देश में भले ही धर्म बदल गए हों लेकिन कानून एक ही रहा है। इसीलिए सिख कानून का पालन करता है.

जैन आते हैं और पूछते हैं, *"आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप हमें हिंदू बनाने जा रहे हैं?" सिख भी यही बात कहते हैं। बौद्ध भी यही बात कहते हैं. इस पर मेरा उत्तर यह है: मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप एक ही कानून प्रणाली का पालन कर रहे हैं और अब किसी के लिए यह कहने में बहुत देर हो चुकी है कि वह इस कानूनी प्रणाली को पूरी तरह खारिज कर देगा और उसका इससे कोई लेना-देना नहीं होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता. इसलिए, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर हिंदू कानून और हिंदू कोड का लागू होना एक ऐतिहासिक विकास है जिसका अब आप और मैं कोई जवाब नहीं दे सकते।"*

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू शब्द को परिभाषित करते हुए सिख जैन और बौद्धों को हिंदू घोषित कर दिया। इस तरह से भारत एक हिंदू राष्ट्र है।

चूंकि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ मुसलमानों को पाकिस्तान मिला और हिंदुओं को हिंदुस्तान!

इस षड्यंत्र का अन्य लोगों को पता नहीं चले इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान छुपाते हुए *भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत रख दिया गया।*

आपको बता दें कि भारत शब्द महाभारत से लिया गया है।

5. देश अघोषित हिंदू राष्ट्र है~

ब्राह्मण ठाकुर बनियों के हाथ में देश की सत्ता है,

उनके ही हाथ में देश की अर्थ व्यवस्था है,

ब्राह्मण ठाकुर बनियों के हाथ में शासन प्रशासन है,

उद्योग कारखाने हैं, पूरा मार्केट है। देश की समस्त सत्ताधारी पार्टी हिंदुओं की हैं,

पूरी मीडिया पर हिंदुओं का कब्जा है।

देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हिंदुओं का कब्जा है।

कुल मिलाकर देश में हिंदुओं का ही आतंक है।

देश के लगभग हर पुलिस थाने में मंदिर बना हुआ है , लगभग हर जिले का कलेक्टर और एसपी हिंदू है।

सिख, बौद्ध,मुस्लिम ,ईसाई इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 290 A से स्पष्ट है कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है।

जब चंद्रयान छोड़ा जाता है तब हनुमान की पूजा होती है,

राफेल आता है तब हिंदू विधि से पूजा होती है,

रेलगाड़ी चलाई जाती है तो पूजा होती है,

संसद का उदघाटन हिंदू पद्धति से कराया जाता है,

भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसका शुद्धिकरण कराया जाता है,

राम मंदिर सरकार बनवा रही है।

आदि चीजें देखने से पता चलता है कि भारत अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है।

इसे बनवाने में डॉ भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है।

नोट ~ जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा प्रस्तुत सबूतों को गलत साबित करता है तो उसे एक लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।

*दिनेश सिंघ एलएल.एम.